तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनोशियल जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
29-5-17	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित है। वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थनापत्र 136 L.R.A. स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
	(हस्ताक्षर) उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

निर्णय
ए

मुकदमा
2/2017
तकीउद्

1. खुर्शि
2. जरीन
3. समीर
4. सहीरु
5. नकीरु
6. सरका

उपस्थित

प्रा
अप्रार्थीग
0.06 है0,
ग्राम उदे
का जो
उसमें प्रा
नाम तकी
पेश कर
तकीउद्द
प्रा
की प्रमाणि
प्रा
अप्रार्थी स
अप्र
तहसीलद
अपने पत्र
न्यायालय
बह
प्रार्थ
नाम तकी
उदेईकलां
नाम सिज

निर्णय न्यायालय श्री बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
2/2017	2.2.2017	29-5

तकीउद्दीन पुत्र सलीम, मुसलमान निवासी वजीरपुर तह0 वजीरपुर ——प्रार्थी

बनाम

1. खुर्शिद बानो बेवा अमीनुद्दीन, मुसलमान निवासी वजीपुर तह0 वजीरपुर
2. जरीना बेवा सलीम, मुसलमान निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
3. समीउद्दीन पुत्र सलीम, मुसलमान निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
4. सहीरूद्दीन पुत्र सलीम, मुसलमान निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
5. नकीउद्दीन पुत्र सलीम, मुसलमान निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर
6. सरकार जरिए तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती तहत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित :—श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से
श्रीमती मीना शर्मा, एडवोकेट,अप्रार्थी सं01 लगायत 5 की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ख0नं0 4468 रकबा 0.09 है0, 4470 रकबा 0.06 है0, 4471 रकबा 0.06 है0, 4472 रकबा 0.02 है0, 4481 रकबा 0.06 है0 ग्राम उदेईकलां में है। प्रार्थी के पिता सलीम का इन्तकाल होने पर विरासत का जो नामान्तरकरण ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 15.8.2004 को खोला गया उसमें प्रार्थी का नाम सिजाउ्दीन दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम तकीउद्दीन है तथा तकीउद्दीन ही दर्ज होना चाहिए। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का नाम सिजाउद्दीन के स्थान पर तकीउद्दीन दर्ज किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी ने नामान्तरकरण संख्या 302 दि0 15.8.04 की प्रमाणित छायाप्रति पेश की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित हुए।

अप्रार्थी संख्या 6 तहसीलदार वजीरपुर से रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार वजीरपुर ने पटवारी हलका वजीरपुर बी की रिपोर्ट दि0 21.4.17 अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/विरा0/2016/281 दिनांक 24.4.17 के साथ इस न्यायालय को भिजवाई है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपनी बहस में कहा कि प्रार्थी का सही नाम तकीउद्दीन है जो उसके अन्य दस्तावेजों से प्रमाणित है। ग्राम उदेईकलां में विरासत का जो नामान्तरकरण खोला गया है उसमें प्रार्थी का नाम सिजाउद्दीन दर्ज कर दिया गया है जो सही होना आवश्यक है। तहसीलदार वजीरपुर के यहां से जो जांच रिपोर्ट पटवारी हलका वजीरपुर बी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

की प्राप्त हुई है उसमें भी प्रार्थी का सही नाम तकीउद्दीन होना बताया गया है इसलिए प्रार्थी का सही नाम तकीउद्दीन दर्ज किया जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपनी बहस में कहा कि प्रार्थी का सही नाम तकीउद्दीन ही है। वजीरपुर में प्रार्थी की जो अन्य जमीन है उसकी जमाबंदी में प्रार्थी का नाम तकीउद्दीन ही दर्ज है। इसलिए प्रार्थी का नाम सिजाउद्दीन के स्थान पर तकीउद्दीन करने में अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का एवं तहसीलदार वजीरपुर के यहां से प्राप्त रिपोर्ट पटवारी का अवलोकन किया। विरासत का नामान्तरकरण संख्या 302 दिनांक 15.8.04 ग्राम उदेईकलां जो खोला गया है उसमें प्रार्थी का नाम सिजाउद्दीन अंकित है। पटवारी हलका वजीरपुर की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी तकीउद्दीन का बचपन का बोलता नाम सिजाउद्दीन है। सिजाउद्दीन व तकीउद्दीन दो अलग अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति के दो नाम है। रिपोर्ट पटवारी के साथ प्राप्त जमाबंदी सं0 2072 से 2075 ग्राम वजीरपुर बाबत ख0नं0 4136, 4137, 4138, 4139, 4140 में प्रार्थी का नाम तकीउद्दीन दर्ज है। इस प्रकार प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार प्रार्थी का सही नाम तकीउद्दीन है एवं प्रार्थी इसी अनुसार ग्राम उदेईकलां की जमाबंदी में अपना नाम सही कराने का अधिकारी है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम उदेईकलां की भूमि ख0नं0 4468, 4470, 4471, 4472, 4481 में नामान्तरकरण संख्या 302 दिनांक 15.8.04 के आधार पर प्रार्थी का दर्ज नाम सिजाउद्दीन के स्थान पर तकीउद्दीन दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। भूमि में दर्ज शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार गंगापुर सिटी को पालना हेतु प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29-5-2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप जिला कलेक्टर एवं ... गंगापुर सिटी (स0मा0) सत्यमेव जयते

(बाबूलाल जाट)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)